कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण) जिला इन्दौर

क्रमांक/पो. मे. छा./ 2018–19/12596 इन्दौर, दिनांक 1/06/2018

प्रति,

अधिष्ठाता/निर्देशक/प्राचार्य
शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय
समस्त जिला इन्दौर।

विषय :– विभागीय पोर्टल पर हितग्राही प्रोफाईल पंजीकरण के संबंध मे निर्देश बाबद्।

उपरोक्त विषयांकित पत्र के संबंध मे लेख है कि विभागीय योजनाओ के कियान्वयन हेतु नवीन पोर्टल **tribal.mp.gov.in** प्रारंभ किया गया है। विभाग द्वारा संचालित योजनाओ का लाभ लेने हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के नागरिको को वन टाईम हितग्राही प्रोफाईल पंजीकरण करना अनिवार्य है।

आपकी संस्थाओ मे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियो द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लाभ हेतु विद्यार्थियो का भी हितग्राही प्रोफाईल पंजीयन किया जाना है।

हितग्राही प्रोफाईल पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेजो के बारे मे आप सभी को पूर्व मे अवगत करा दिया गया है। परन्तु विद्यार्थियो के हित को ध्यान मे रखते हुए पंजीकरण हेतु अनिवार्य दस्तावेजो का विवरण तथा आवश्क दस्तावेजो के अद्यतन हेतु केन्द्रो की जानकारी इस पत्र के संलग्न प्रेषित है।

अतः आप अपनी संस्था मे अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियो को हितग्राही प्रोफाईल पंजीकरण करने हेतु तत्काल निर्देशित करने का कष्ट किजिये।

नोट :– हितग्राही प्रोफाईल पंजीकरण के अभाव मे किसी भी विद्यार्थी को छात्रवृत्ति का लाभ प्रदान नही किया जा सकेगा।

सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग, इन्दौर

विभागीय योजनाओं में लाभ लेने हेतु नए सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ‘हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण’ के सम्बन्ध में निर्देश:

- विभागीय योजनाओं में लाभ लेने हेतु नए सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ‘हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण’
- विभाग की योजनाओं में, निर्माणाधीन नए सॉफ्टवेयर के माध्यम से लाभ प्राप्त करने हेतु सर्वप्रथम समस्त हितग्राहियों **(मध्यप्रदेश के समस्त अनुसूचित जनजाति (ST) एवं अनुसूचित जाति (SC) नागरिक एवं अन्य पात्र लाभार्थी)** को स्वयं का प्रोफाइल पंजीकरण करना रहेगा।
- यह पंजीयन हितग्राही द्वारा स्वयं, इन्टरनेट कीओस्क यथा एमपी ऑनलाइन, लोक सेवा केंद्र, नागरिक सुविधा केंद्र (CSC) अथवा विभागीय अधिकारियों के माध्यम से किया जा सकेगा।
- यद्यपि यह एक सतत प्रक्रिया रहेगी तथापि वर्तमान में योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हितग्राहियों का एक बार (One-time) पंजीयन एक निश्चित समय सीमा में करवा

ऑनलाइन '<u>हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण</u>' करने हेतु आवश्यक निर्देश:

- आवेदक को सर्वप्रथम अपना 'आधार' नंबर प्रदान कर ओटीपी अथवा बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी के माध्यम से सत्यापन करना होगा |
- यदि आपके 'आधार' नंबर से आपका मोबाइल रजिस्टर्ड नहीं है तो आप अपने निकटतम एमपी ऑनलाइन (MPOnline) / लोक सेवा केंद्र (LSK) / नागरिक सुविधा केंद्र (CSC) पर जाकर बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी के माध्यम से अपना प्रोफाइल पंजीकरण करा सकते है |
- आवेदक के आधार में सही नाम (हिंदी एवं अंग्रेजी) एवं पूर्ण जन्म दिनांक (दिन/महीना/साल प्रारूप में जैसे 19.04.1983) होनी चाहिए |
- आवेदक के पास ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल / लोक सेवा केंद्र के माध्यम से जारी डिजिटल हस्ताक्षरित जाति प्रमाण-पत्र होना चाहिए |
- प्रोफाइल पंजीकरण के समय आवेदक को स्वयं की समग्र परिवार आईडी एवं समग्र सदस्य आईडी की प्रविष्टि अनिवार्य रूप से करना है